न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/81

यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी भूरिया गणेशजी मंदिर की गलीके पास कोटा राज0

––अपीलांट

बनाम

1. गुरविन्दर सिंह
2. जसवीर सिंह
3. राजदीप सिंह
   पिसरान स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सरजीत कौर पत्नी स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. कुलदीप कौर पुत्री स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 1 लगायत 5 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 18.07.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 49/2022(gcms no. 2022/282) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा का स्थायी निवासी है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 ग्राम ताथेड तहसील लाडपुरा के स्थायी निवासी है। ग्राम मंडानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 739/580 की 18 बीघा 10 बिस्वा कृषि आराजी स्थित थी। उपरोक्त भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में सिवाय चक दर्ज थी। खसरा नम्बर 739/580 की 18 बीघा 10 बिस्वा उपरोक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि वादी को

दिनाक 22–6–1976 को आवंटित की गई थी। वादी को उपरोक्त भूमि पर नियमानुसार कब्जा दिया गया था। उपरोक्त भूमि नामान्तकरण सं० 198 दिनांक 12–10–1976 के जरिये वादी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी। वादी द्वारा आवंटन की समस्त देय राशि नियमानुसार जमा करवा दी गई थी वादी के जिम्मे कोई राशि बकाया नहीं है। वादी स्वतः ही कानूनन उपरोक्त भूमि का खातेदार टीनेन्ट हो गया है। वादी वर्तमान में भी उपरोक्त भूमि पर बहेसियत आवंटी एंवम् खातेदार वैधानिक रूप से काबिज है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 व 5 के पिता एवं प्रतिवादनी नं0 4 के पति श्री मिलकियत सिंह आत्मज श्री बूटा सिंह जी जाति मजहबी सिक्ख निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा थे जिनकी दिनांक 21–9–2018 को मृत्यु हो गयी थी मिलकियती सिंह के तीन पुत्र प्रतिवादी नं० 1 लगायत 3, एक पुत्री प्रतिवादी नं0 5 है तथा पत्नी प्रतिवादी नं0 4 है जो श्री मिलकियत सिंह के प्राकृतिक उत्तराधिकारी है। उपरोक्त भूमि मिलकियत सिंह का फोती नामान्तरकरण तस्दीक होकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के नाम समभाग से दर्ज हो चुकी है। दौराने बन्दोबस्त भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने वादी को आवंटित उपरोक्त खसरा नम्बर 739/580 की 5 बीघा भूमि के दो भाग कर वादी को आवंटित उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 784/739/580 कायम कर नये खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.80 हेक्टर कायम कर वादी को आवंटित उपरोक्त भूमि को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही सर्वथा गलत गैर कानूनी अवैध, एंव त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 एंवम् प्रतिवादी नं0 5 के पिता एव प्रतिवादी नं0 4 के पति श्री मिलकियत सिंह आत्मज श्री बूटासिंह जी जाति मजहबी सिक्ख निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी थी। उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन से श्री मिलकियत सिंह व उनके वारिसान को कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते है। वादी पूर्ववत उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है एंव वर्तमान में भी काबिज है। भूप्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा मिलकियत सिंह के नाम के किये गये इन्द्राजात सर्वथा अवैध एवं प्रभावशून्य है। मिलकियत सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के खाते जमाबन्दी में दर्ज किये गये इन्द्राजात सर्वथा अवैध एंव प्रभावशून्य है जिसे दुरूस्त करवा कर वादी उपरोक्त भूमि पुनः अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने पूर्व में दिनांक 6–1–2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्माननीय न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था। उक्त वाद में फोरमल डिफेक्ट होने के कारण वादी ने दिनांक 16–2–2022 को नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत के साथ उक्त वाद विड्रो कर लिया था। सम्माननीय न्यायालय द्वारा वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान कर दी गयी थी। आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ सलंग्न है। वादी की उपरोक्त भूमि सर्वथा गैर कानूनी रूप से मिलकियत सिंह जी के खाते दर्ज होने एंवम् उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के खाते अवैध रूप से दर्ज होने का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण कुछ दिनों से वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने लगे है। अतः वादी का प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादी ने प्रतिवादी नं० 7 राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर साहब कोटा के कार्यालय में दिनांक 7–3–2022 को धारा 80 व्यवहार विधि संहिता के अन्तर्गत दो माह का नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम मण्डानिया की हाल खसरा नम्बर 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर गलत रूप से हुये मिलकियत सिंह आत्मज श्री बूटासिंह जी जाति मजहबी सिक्ख निवासी ताथेड तहसील लाडपुरा जिला कोटा का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से

Cont...2

विलोपित किये जाने का तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने की व्यवस्था फरमायी जावे। दिनांक 7–3–2022 को नोटिस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी निर्धारित उक्त अवधि में वादी का वांछित अनुतोष प्रदान नहीं किया गया अतः वादी को दीगर प्रतिवादीगण के साथ साथ राजस्थान राज्य को पक्षकार बना कर उपरोक्त अनुतोष की प्राप्ति हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी को यह दावा प्रस्तुत करने का वाद कारण दौराने भू–प्रबन्ध, भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा वादी को आवंटित उसकी गैरखातेदारी की उपरोक्त भूमि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 एंव 5 के पिता एवं प्रतिवादनी नं0 5 के पति श्री मिलकियत सिंह की गेरखातेदारी में दर्ज करने पर एंवम अन्तिम मर्तबा वादी द्वारा जरिये अभिभाषक प्रतिवादी नं० 6 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर साहब कोटा को उपरोक्त भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज करने बाबत दिनांक 7–3–2022 को नोटिस उनके कार्यालय में प्रस्तुत करने पर, बावजूद गुजरने मियाद नोटिस, नोटिस में वर्णित निर्धारित अवधि में वादी को वांछित अनुतोष प्रदान नहीं करने पर उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र ग्राम मण्डानिया, भुअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रायपुरा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित है। अतः माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है। दावा वादी उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय का निर्णय व डिक्री पारित की जावे– (1). ग्राम मण्डानिया तहसील लाड़पुरा की खसरा नम्बर 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किये जाने का एवम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी से मिलकियत सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 का नाम विलोपित किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर डिक्री फरमायी जावे। (2). वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण नं0 1 विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 5 ग्राम मण्डानिया तहसील लाड़पुरा की खसरा नम्बर 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि में वादी के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करे ओर न अपने एजेन्ट से करावे, वादी को उपरोक्त कृषि भूमि शांति पूर्वक काश्त करने देवे, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने एजेन्ट से करावे। (3). वादी को प्रतिवादीगण से वाद व्यय दिलाया जावे। (4). अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में संशोधन किया जाकर दिनांक 03.01.2023 को वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का नाम विलोपित किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की गैर खातेदारी में दर्ज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री जैर अपील अपीलान्ट/ प्रार्थी की अनुपस्थिति मे तथा उसे एवं उसके अधिवक्ता को तलब किये बिना ही पारित की गई है, इस कारण से अपीलान्ट को पूर्व मे निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नही थी। अपीलान्ट द्वारा अपील विषयक आराजीयात की जमाबंदी दिनांक 18.02.2025 को निकलवाने पर तथा उसका अवलोकन कर अपीलान्ट का नाम बतौर गैर खातेदार अंकित होने पर तदुपरान्त अधिनस्थ न्यायालय में मालूमात करने पर अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जेर अपील की सर्वप्रथम जानकारी हुई। दिनांक 18.02.2025 से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील की कोई जानकारी नही थी। निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने की सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 18.02.2025 से अपीलान्ट द्वारा यह अपील सम्माननीय न्यायालय में अवलिम्ब प्रस्तुत की गई है। उक्त कारण से अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित व विधि संगत होगा। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करनें में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. अपील के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तथा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजे प्रकरण से सुसंगत है तथा अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड की सत्यप्रतियॅा है जिन पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। अतः उक्त दस्तावेजो को न्यायहित में रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय के रिकॉर्ड

की प्रमाणित प्रतिलिपी है जिस पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि के संबंध में हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। उपरोक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 24.11.2022 को स्वीकार कर डिक्री फरमाया जाकर ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 1034 की 0.80 हैक्टर भूमि का खातेदार वादी यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह आत्मज भंवर सिंह जाति राजपूत को घोषित किया गया था एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया गया था कि वह ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 1034 की 0.80 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह आत्मज भंवर सिंह जाति राजपूत का नाम दर्ज कर मिल्कियत सिंह के वारिसान प्रतिवादी/ रेस्पोन्डेन्ट कम 1 लगायत 5 का नाम विलोपित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 पारित किये जाने के उपरान्त अपीलान्ट/वादी द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना किये जाने हेतु इजराय प्रस्तुत की थी। उपरोक्त इजराय के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2022 को निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 की पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा को पत्र जारी कर आदेशित किया गया था। तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा दिनांक 03.01.2023 को उपखण्ड अधिकारी कोटा के न्यायालय से निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 के संबंध में पत्र प्रेषित कर मार्ग दर्शन चाहा गया था कि ग्राम मण्डानिया की खसरा नं0 1034 की 0.80 हेक्टर पर वादीगण का नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावे अथवा गैर खातेदारी मे। तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा प्रेषित उक्त मार्गदर्शन पत्र दिनांक 03.01.2023 कमांक 109/2023/भू.अभि. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा को दिनांक 03.01.2023 को प्राप्त होने के उपरान्त वाद की मूल पत्रावली तलब की जाकर निम्न आशय का आदेश प्रदान किया गया। "पत्रावली के अवलोकनार्थ यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा भी अपने वादपत्र में ग्राम मण्डानिया की खसरा नं0 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है तथा निर्णय के साथ जारी डिक्री पर्चा मे भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 का नाम विलोपित कर वादी यादव सिंह उर्फ यादवीर सिह आत्मज भंवर सिंह का नाम दर्ज किया गया है। डिक्री पर्चा मे वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश नही दिये गये है अतः स्पष्ट है कि प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 24.11.2022 में टाईपिंग त्रुटि का होना जाहिर होता है तथा टाईपिंग त्रुटि सुधार कर पारित निर्णय दिनांक 24.11.2022 में खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार अंकन कर पुनः संशोधित निर्णय जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।" अधीनस्थ न्यायालय से तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा केवल मात्र निर्णय व डिक्री

Cont. 2

दिनांक 24.11.2022 के संबंध मे मार्ग दर्शन मांगा गया था। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है।क अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही फरमाया कि बिना किसी पक्षकार द्वारा आवेदन के सुओमोटो कानूनन किसी भी निर्णय व डिक्री को रिव्यू नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तौर पर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण को सूचित किये बिना ही तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 को रिव्यू कर अधीनस्थ न्यायालय ने नजरसानी (रिव्यू प्रार्थना पत्र) की प्रक्रिया के प्रावधानो की पालना किये बिना विधि विरूद्ध रूप से पूर्व मे पारित निर्णय व डिक्री को रिव्यू किये जाने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। रिव्यू की प्रक्रिया तीन स्टेजेज में होती है, इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। मूल प्रकरण के संबंध 1 मे पक्षकारान को सूचित किये बिना ही संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय व डिकी दिनांक 03.01.2023 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील रिव्यू के स्कॉप से परे जाकर तथा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.11.2022 को रिव्यू किये जाने की मियाद समाप्त होने के उपरान्त मनमाने तौर पर सर्वथा गैर कानूनी रूप से पारित की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं. 1034 की 0.80 हैक्टर भूमि के संबंध में वादी/अपीलान्ट को खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर अपीलान्ट/वादी का वाद डिकी कर अपीलान्ट वादी को उपरोक्त भूमि का खोतदार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया था, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 तथा संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 में वर्णित इबारत से तथा पत्रावली से भी होती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने मे त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री जैर अपील में सर्वथा गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया है कि "वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री नरेन्द्र गुप्ता द्वारा अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नं0 1034 की 0.80 हेक्टर भूमि का वादी को गैर खातेदार टीनेन्ट घोषित फरमाया जाकर तअनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अमल दरामद किए जाने का एवं राजस्व अभिलेख जमाबंदी से मिलकियत सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 नाम विलोपित किये जाने का निर्णय व डिक्री फरमायी जावे।" यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा उपरोक्त आराजीयात के संबंध में स्वयं को खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया था। अपीलान्ट/वादी द्वारा उपरोक्त आराजीयात को वाद पत्र में स्वयं की गैर खातेदारी मे दर्ज किये जाने के संबंध में न तो कहीं भी किसी भी प्रकार का अनुतोष मांगा गया है, न ही उल्लेख किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 के अनुसार वादी अपीलांट वादग्रस्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने आवंटन नियम 1970 के नियम 18 के तहत भूमिधारी

Cont. 2

तहसीलदार को गैर खातेदार को तीन वर्ष उपरान्त स्वतः ही खातेदारी देने के प्रावधान विहित किये गए है। अतः अपीलांट वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त कर चुका है। निर्णय व डिकी जैर अपील में अपीलान्ट/वादी एंव रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति सर्वथा मिथ्या तौर पर दर्शायी गई है। वास्तविकता यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2022 को ही उपरोक्त वाद को निर्णित कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की जा चुकी थी। इसके पश्चात वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उक्त वाद मे अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुये, उनकी उपस्थिति अधीनस्थ न्यायलय द्वारा गलत रूप से दर्ज की गई है। प्रकरण निर्णित हो जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय मे वकील साहब के उपस्थित होने का कोई कारण भी नही था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर वादी के वकील साहब के उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर भी नही है। निर्णय व डिकी जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे तथा उसे एवं उसके अधिवक्ता को तलब किये बिना ही पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2021 पेज 262, आर.आर.डी. 1979 पेज 119 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर संशोधित निर्णय व डिकी जैर अपील दिनांक 03.01.2023 को निरस्त किए जाने तथा निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की भूमि है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है। भू–प्रबन्ध के अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी को त्रुटिपूर्ण रूप से मल्कियत सिंह के खाते दर्ज कर दिया गया। रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त भूमि से किसी प्रकार का सम्बंध नहीं है। वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्टगण का किसी प्रकार का हक अधिकार एवं कब्जा काश्त नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड से रेस्पोडेन्टगण का नाम विलोपिता किए जाने में रेस्पोडेन्टगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 विधि सम्मत है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 निरस्त किए जाने तथा निर्णय व डिकी दिनांक 24.11.2022 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थी अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय व डिकी दिनांक 03.01.

Cont...2

2023 पारित की गई है इस कारण प्रार्थी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम मण्डानिया तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में मिलकियत सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 का नाम विलोपित किया जाकर वादी अपीलांट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किए जाने का जो आदेश अंकित किया गया है। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में संशोधन करते हुए वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने के आदेश को संशोधित करते हुए अपीलांट का नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 में अंकित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवार मण्डल नयानोहरा द्वारा तहसीलदार लाडपुरा को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र संलग्न है। उक्त प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 03.01.2023 अंकित है तथा पटवार हल्का नयानोहरा के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.01.2023 में पटवार हल्का नयानोहरा द्वारा तहसीलदार लाडपुरा से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 की पालना किए जाने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रार्थना–पत्र दिनांक 03.01.2023 में पटवार हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 के सम्बंध में यह उल्लेखित किया गया है कि "उक्त निर्णय में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि खाते में वादीगण का नाम गैर खातेदारी मे दर्ज किया जावे या खातेदारी में दर्ज किया जावे।" अतः पटवारी हल्का नयानोहरा द्वारा तहसीलदार लाडपुरा से वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपीलांट का नाम बतौर गैर खातेदार अथवा खातेदार दर्ज किए जाने के सम्बंध में मार्गदर्शन चाहा गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में वादग्रस्त आराजी को अपीलांट यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह को खातेदार घोषित किए जाने का आदेश स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पटवारी हल्का नयानोहरा की रिपोर्ट के आधार पर अपने पत्र कमांक भू–अभि0/2023/109 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटा को पत्र प्रेषित करते हुए पटवार हल्का नयानोहरा की रिपोर्ट के अनुसार मार्गदर्शन चाहा गया है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त पत्र कमांक 109 दिनांक 03.01.2023 के आधार पर पत्रावली पुनः तलब की गई। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 के सम्बंध में किसी प्रकार का संशोधित आदेश प्रदान किए जाने से पूर्व प्रकरण के समस्त पक्षकारान को सूचित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.01.2023 का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 03.01.2023 में वादी अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान अथवा उनके अधिवक्ता की उपस्थिति अथवा हस्ताक्षर का कोई अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में निर्णय दिनांक 03.01.2023 पारित किए जाने से पूर्व उभयपक्षकारान को जारी किसी प्रकार के सम्मन नोटिस/सूचना–पत्र संलग्न नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में कायम किए गए सभी पक्षकारान को सुने बिना पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में स्वयं के स्तर पर किसी प्रकार का संशोधन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय को स्वतः ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में किसी प्रकार का संशोधन करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1979 पेज 118 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार– **"the S.D.O. has no juridisdiction to review the order under section 229 of rajsthan tenancy Act there is no provision of suo-moto review."** अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय को स्वयं रिव्यु करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों पर चस्पा होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना तथा पक्षकारान को सूचित किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 03.01.2023 में पारित करते हुए पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में संशोधन किया जाकर खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार अंकित किए जाने का जो संशोधित आदेश दिनांक 03.01.2023 अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 को चुनौती दिए जाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 विधि सम्मत होने से इसमें वर्तमान स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Cont..2

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 49/2022 (gcms no. 2022/282) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 बहाल रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Cont...2

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/81

यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी भूरिया गणेशजी मंदिर की गलीके पास कोटा राज0

——अपीलांट

बनाम

1. गुरविन्दर सिंह
2. जसवीर सिंह
3. राजदीप सिंह
   पिसरान स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सरजीत कौर पत्नी स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. कुलदीप कौर पुत्री स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 49/2022(gcms no. 2022/282)

यादव सिंह उर्फ यादवीर सिंह आत्मज भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी भूरिया गणेशजी मंदिर की गलीके पास कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. गुरविन्दर सिंह
2. जसवीर सिंह
3. राजदीप सिंह
   पिसरान स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. सरजीत कौर पत्नी स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा

Cont...2

दीप कौर पुत्री स्व. मिल्कियत सिंह जाति मजहबी सिक्ख निवासी ग्राम ताथेड़ तहसील लाडपुरा जिला
टा
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 49/2022(gcms no. 2022/282) में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक** 03.01.2023 **की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 18.07.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री अनुराग गुप्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विजेन्द्र सिंह राजावत के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 49/2022 (gcms no. 2022/282) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2023 निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.11.2022 बहाल रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 18.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

18/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Cont. 2